<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती सेल्वा कुमारी जे0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री हिन्दुस्तान आफसेट, 386 / 187, दालमण्डी, सआदतगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**025 / 13, 03.06.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अमरीश जैन, अधिकृत प्रतिनिधि।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी-सर्वश्री हिन्दुस्तान आफसेट, 386 / 187, दालमण्डी, सआदतगंज, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए Aluminum Roll Up Standy पर करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी-श्री अमरीश जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि बैंकों से प्राप्त आर्डर के अनुरूप Aluminum Roll Up Standy के रेडीमेड स्टैण्ड खरीद कर, उस पर कपड़ा या रैक्सीन पर बैंक द्वारा दिया गया मैटर छपवाने के उपरान्त उक्त प्रिन्टेड मैटेरियल फिक्स करके सप्लाई किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। अन्त में उक्त वस्तु पर कर की दर विनिश्चय करते हुए प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय लखनऊ के पत्र संख्या-808, दिनांक 01.07.2013 से प्राप्त आख्या में यह कहा गया है कि प्रार्थी का व्यापार बैंक से आर्डर प्राप्त करके Aluminum Roll Up Standy का है। प्रश्नगत वस्तु किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि Aluminum Roll Up Standy उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है, इसलिए उक्त वस्तु पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिस वस्तु- Aluminum Roll Up Standy पर, करदेयता पूछी गयी है, वह वस्तु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

....2

<u>सर्वश्री हिन्दुस्तान आफसेट / प्रा0पत्र सं0-025 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 जुलाई, 2013

ह0 / 19.07.2013

(सेल्वा कुमारी जे0)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।